निर्णय न्यायालय श्री दिव्यांशु शर्मा आर.ए.एस
न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बारां जिला बारां

प्रकरण सं. 90/2020
दायरा दिनांक :- 13.8.20
निर्णय दिनांक :- 28.2.22

उनवान

दिनेश पुत्र जगदीश प्रसाद जाति धाकड़ निवासी वन विभाग के सामने कोटा रोड बारां जिला बारां

बनाम

1. श्यामलाल दत्तक पुत्र कन्हैयालाल जाति छीपा निवासी गायत्री मंदिर के पास बारां तह. बारां
2. राज. सरकार जरिये तहसीलदार बारां

प्रार्थना पत्र धारा 110,111,116 LR act
निर्णय दिनांक :- 28.2.2022

उपस्थित अभिभाषक :- 1. श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता - प्रार्थी
2. श्री ओम प्रकाश मेहता - अप्रार्थी

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 110,111, 116 LR act विरुद्ध अप्रार्थीगण के खिलाफ इस आशय का पेश किया गया कि वाके मौजा कल्याणपुरा तह. बारां में आराजी ख.नं. 499/337 रकबा 0.16 हे. स्थित है जो वर्तमान में वादी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त आराजी पूर्व में प्रार्थी वादी का / श्यामलाल दत्तक पुत्र कन्हैयालाल जाति छीपा निवासी गायत्री मंदिर के पास बारां के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी। प्रार्थी वादी का / द्वारा उक्त वर्णित आराजी ख.नं. 337 रकबा 0.43 हे. में से 0.16 हे. उत्तरी दक्षिणी आराजी को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 2.12.2015 को वादी को बेचान किया था। उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर वादी के नाम इन्तकाल दर्ज करते हुए नया खसरा नम्बर 499/337 रकबा 0.16 हे. उत्तरी [illegible] राजस्व रिकार्ड में बमोजिब [illegible] दर्ज कर दिया था। बाद [illegible] प्रार्थी वादी का / के द्वारा वादी को हुए के [illegible] 337 की 0.1[illegible] आराजी पर कब्जा एवं दखल कायम किया था तब से [illegible] वादी उक्त ख[illegible] आराजी पर

लगातार - 2

उपखण्ड अधिकारी
बारां

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.23 14:54:17 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

काबिज चला आ रहा है जिसे नक्शे में लाल लाईन से रेखांकित किया गया है। वादी द्वारा उक्त कुल कुडा आराजी का नक्शा ट्रेस लेने पर पटवारी हल्का द्वारा जानकारी हुई कि वादी के जमाबंदी में दर्ज ख.नं. 499/337 रकबा 0.16 हे. को नक्शा ट्रेस में दाखिली छीदे पर चौकोर गलत दर्शाया गया है। जबकि वादी द्वारा उक्त आराजी कुऐ के पास स्थित ख.नं. 336 से लगता स्थित है जिस पर वादी बाद क्रय विक्रय कर से काबिज चला आ रहा है जिसे नक्शा ट्रेस में लाल लाईन से दर्शाया गया है जो एल आकार में है।

वादी के स्वर प्रार्थी वादी क्र. 1 से खरीद की गई आराजी का नक्शा ट्रेस तरमीम करते समय प्रार्थी वादी क्र. 2 के अधीनस्थ कार्मिकों द्वारा विक्रय पत्र की अवहेलना करते हुए गलत नक्शा तरमीम कर नक्शे में दाखिली छीदा छीदे में गलत दर्ज कर दिया गया है। जबकि विक्रय पत्र व मौके पर कब्जे अनुसार वादी कुऐ के पास स्थित ख.नं. 336 से लगता ख.नं. 337 की 0.16 हे. आराजी पर काबिज है तथा उक्त आराजी ही वादी ने खरीद की थी। इसलिये नक्शा ट्रेस में वादी के नाम दर्ज भूमि को दाखिली छीदे पर चौकोर दर्शाया गया है जिसे दुरुस्त कर नक्शा ट्रेस में विक्रय पत्र व कब्जे अनुसार कुऐ के पास स्थित ख.नं. 336 से लगता ख.नं. 337 रकबा 0.16 हे. पर तरमीम करते हुए सही लाईन एल आकार में डिमार्केशन की जाने जिसे नक्शा ट्रेस में लाल लाईन से अंकित किया हुआ है। इसी अनुसार नक्शा ट्रेस में तरमीम किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। वादिया द्वारा नक्शा ट्रेस में दुरुस्त करने हेतु प्रार्थी वादी क्र. 2 व उसके अधीनस्थ कर्मचारियों से निवेदन किया किन्तु वादिया के निवेदन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया तथा दिनांक 6.7.2020 को नक्शा दुरुस्त करने से स्पष्ट मना कर दिया इसलिये वाद कारण दिनांक 6.7.2020 को आईन्दा बार उत्पन्न हुआ तथा वर्तमान में भी पैदा हो रहा है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये समन तलब किया गया। अप्रार्थी क्र. 1 की ओर से श्री ओमप्रकाश मेहता एड. का वकालतनामा पेश हुआ। अप्रार्थी क्र. 2 से मौका रिपोर्ट ली गई। प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबंदी ग्राम कल्याणपुरा सम्वत 2070-73 खाता सं. 258, नकल नक्शा ट्रेस, नकल जमाबंदी ग्राम कल्याणपुरा सम्वत 2070-73 खाता सं. 200, नकल खाता सं. 594 ग्राम कल्याणपुरा, नकल विक्रय पत्र दिनांक 20.10.15 पेश किया [illegible]

बहस [illegible] सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना [illegible] को दोहराया गया। वकील वादी का कथन है कि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी [illegible] क्र. 1 से ख.नं. 337 रकबा 0.43 हे.

लगातार.....3

उपखण्ड अधिकारी
बारां

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.23 14:54:17 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

में से 0.16 हे. भूमि का क्रय कर जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से लिया जाना था प्राई बाकी रहा। अतः प्रार्थी को 0.16 हे. भूमि पर उत्तरी-दक्षिणी हिस्सा में कब्जा संभलाया गया। उक्त भूमि पर प्रार्थी के नाम मुताबिक विक्रय पत्र नामा. दर्ज किया गया। प्रार्थी को ख.नं. 336 से लगता हुए के पास स्थित भी पर कब्जा दिया गया था। प्रार्थी की क्रय शुदा भूमि दक्षिणी हिस्से में चौकोर गलत दर्शाया गया है, नक्शा ट्रेस में लाईन लाल लाईन से दर्शाया गया है जो गलत है, राजस्व कर्मचारियों द्वारा गलत तरमीम कर नक्शे के दक्षिणी हिस्से में गलत दर्ज कर दिया गया है, जबकि विक्रय पत्र व मौके पर कब्जे अनुसार नक्शे के तरमीम भी किया गया है नक्शे के गलत दर्शाया गया है जिसे दुरुस्त कर विक्रय पत्र व मौके पर कब्जे अनुसार सही बाबत डिमार्केशन किया जावे।

बहस के दौरान वकील अप्रार्थी क्रम. १ का कथन है कि अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी को बेचान की गई भूमि का नक्शे के तरमीम किया गया है प्रार्थी गलत तथ्यों के आधार पर वाद पत्र प्रस्तुत किया है प्रार्थी द्वारा किया गया वाद पत्र चलने योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जावे। प्रार्थी को जो भूमि बेचान की है उसका नक्शा के तरमीम किया गया है प्रार्थी अप्रार्थी की भूमि पर गलत तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत कर कुए के पास की भूमि को लेना चाहता है जबकि अप्रार्थी द्वारा कुए की के पास की भूमि का बेचान भी नहीं किया गया है प्रार्थी के मन में बेईमानी आ जाने के कारण अप्रार्थी की भूमि पर गलत रूप से तरमीम करवाना चाहता है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जावे।

बहस अधिवक्तागण उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। तहसीलदार बारां से विवादित आराजी के सम्बन्ध में रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार बारां द्वारा अपनी रिपोर्ट में बताया कि ग्राम कल्याणपुरा में आराजी ख.नं. 499/337 रकबा 0.16 हे. भूमि बाकी विवेक नागर पुत्र जगदीश प्रसाद द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 2.12.15 को प्रकाशलाल [illegible] पुत्र कन्हैयालाल आदि छीपा नि. बारां से ख.नं. 337 रकबा 0.43 हे. में से उत्तरी-दक्षिणी हिस्से की 0.16 हे. भूमि क्रय की [illegible] नजरी नक्शा रजि. विक्रय पत्र में दर्ज है। मौके पर [illegible] तरमीम के नक्शे के ख.नं. [illegible] से ख.नं. 421/337 के 499/337 पर दर्ज रूप [illegible] दक्षिणी हिस्से पर भी है जो नजरी नक्शा में दर्ज है मुताबिक रजि. विक्रय पत्र में दर्ज नजरी नक्शे के अनुसार नक्शे के तरमीम नहीं की गई

लगातार-4

उपखण्ड अधिकारी
बारां

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.23 14:54:17 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

है। लेकिन मौके पर वादी के कथित अनुसार सही नहीं है इस प्रकार वादी द्वारा विक्रय पत्र नजरी नक्शा गलत दर्शाया गया है उक्त कुल खसरे के तलीत के सम्बन्ध में पूर्व में भी प्रकरण सं. 91/20 में जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी थी जिसमें ख. नं. 421/337 व 462/421 का संशोधन किया जाना अंकित था। जिसका निर्णय भी हो चुका है। पूर्व में प्रेषित जांच रिपोर्ट अनुसार न्याया. से पारित निर्णय की पालना में ख. नं. 421/337 व 462/421 की तलीत अन्य स्थान पर दुरस्त किया जाना है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी के 0.16 हे. भूमि की तलीत मौके पर कब्जा अनुसार दुरस्त की जा सकती है। तहसीलदार बारां की रिपोर्ट के अनुसार यह तथ्य सामने आये है कि प्रार्थी की तलीत यद्यपि विक्रय पत्र में अंकित नजरी नक्शे अनुसार हो रही है परन्तु मौके पर कब्जे अनुसार नहीं हो रही है प्रार्थी मौके पर कब्जे अनुसार तलीत दुरस्त कराना चाहता है तहसीलदार बारां की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र ~~[illegible]~~ स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

## क्रियात्मक आदेश

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है विवादित आराजी वाके ग्राम कल्याणपुरा के ख. नं. 499/337 रकबा 0.16 हे. को नक्शा ट्रेस में दर्शाणी स्थिति चौकोर के स्थान पर सही लाईन डिमार्केशन करते हुए कुए के पास ख. नं. 336 के लगाव 0.16 हे. भूमि एल आकार में लाईन डिमार्केशन किया करने हेतु तहसीलदार बारां को आदेशित किया जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर हरे इजलास सुनाया गया।

(दिव्यांशु शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
बारां
उप खण्ड अधिकारी बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.23 14:54:17 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner